

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय मुख्यालय उपरखंड अधिकारी, चाकरपुरा जयपुर (राजीव)  
 केस संख्या 300/2017 बनाम राजेश्वर स्वै अल्प

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिकारी अधिवक्ता ने हाजिर होकर बताया कि वादी फौत है चुका है इसके 90 दिवस उपरान्त भी वादी के काम मुकाम नहीं हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसी स्थिति में एक मस पाली भी मुलुम देने एवं काम मुकाम की कार्यवाही प्रियाद अधिवक्ता को दिए जाने के कारण वाद अवेर हो गया है</p> <p>अतः अवेरमेंट के आधारे पर दावा खारिज किया जाना है</p> <p>पत्रावली फिलहाल शुभान लेका दर्ज नम्बर से कर दी</p> <p style="text-align: right;">36 6/3/24 उपरखंड अधिकारी उ. प्रख. चाकरपुरा (राजीव)</p>